कार्यालय मुख्य अभियंता, भू जल विभाग, जोधपुर

क्रमांक: एक्स. 8(10)(17)स्थ/भूजवि/2019/359

दिनांक: 01/07/19

कार्यालय आदेश:

राजस्थान भू जल अधिकारी सेवा नियम 1973 के नियम 31 के अन्तर्गत विभाग में चिस्तीकोट सुपरस्कोर्जर की करिश्मा सूची आदेश क्रमांक 216 दिनांक 01.05.2019 द्वारा जारी करते हुए कर्मचारियों से 15 दिनों में आपत्तियां आमंत्रित की जायेंगी। विलयनिर्मिि समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त न होने के फलस्वरूप दिनांक 01.04.2019 की अंशिम करिश्मा सूची व्यावहारिकता अनुसार एतद्व द्वारा प्रकाशित की जाती है:-

<table>
<thead>
<tr>
<th>क्र.स.</th>
<th>नाम सर्व श्री</th>
<th>संवर्ग</th>
<th>जन्म तिथि</th>
<th>चयनित वर्ष</th>
<th>पदस्थापन</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1.</td>
<td>जवाहरलाल</td>
<td>अ.जा.</td>
<td>22.10.1969</td>
<td>2003-04</td>
<td>सहा.अभि. जुगरपुर</td>
</tr>
<tr>
<td>2.</td>
<td>राजेन्द्र सिंह</td>
<td>अ.जा.</td>
<td>08.06.1966</td>
<td>2006-07</td>
<td>सहा.अभि. कोटा</td>
</tr>
</tbody>
</table>

प्रतिलिपि: निम्न का सूचनाथंक एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. संबंधित कार्यालयाध्यक्ष,भू जल विभाग...........................
2. वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक (शीर्षस्थानी)। भू जल विभाग, जोधपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित हैं।
3. संबंधित कर्मचारी मार्फत संबंधित कार्यालयाध्यक्ष ।
4. व्यक्तिगत पत्रावली
5. संक्षेप पत्रावली ।

(विभव सेवी)
वरिष्ठ भू जल वैज्ञानिक एवं
तकनीकी सहायक (द्विजीय)
कृते मुख्य अभियंता,
भू जल विभाग, जोधपुर